संख्या-65/2025/I-1187193/38-2-2025-001-38-2099-5-2025

प्रेषक,

जयनाथ यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 दिसम्बर, 2025

विषयः- दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के अधीनस्थ क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित बजट की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-I/1185852/38-2-2025-001-38-2099-5-2025, दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को निरस्त करते हुए आपके पत्रांक-573/प्रशि0-स्था0-दो-1(251)/2024-25 (सोलर), दिनांक 21 नवम्बर, 2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के अधीनस्थ क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में सोलर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्लांट की स्थापना किये जाने हेतु रू0 842.95 लाख **(रूपये आठ करोड़ बयालीस लाख पच्चानवे हजार मात्र)** के प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-052-मशीनरी तथा उपकरण-03-17 ग्राम्य विकास संस्थाओं तथा 33 जिला ग्राम्य विकास संस्थाओं में सोलर पावर प्लांट की स्थापना-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र **में धनराशि रू0 842.95 लाख (रूपये आठ करोड़ बयालीस लाख पच्चानवे हजार मात्र) को प्राविधानित किया गया है।**

2- अतः इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के अवशेष अधीनस्थ क्षेत्रीय /जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु धनराशि **रू0 842.95 लाख (रूपये आठ करोड़ बयालीस लाख पच्चानवे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किस्त के रूप में धनराशि **रू0 421.47 लाख (रूपये चार करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) आंकड़ो की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेंशियल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ इस बात का ध्यान रखेंगें कि धनराशि स्वीकृत कर सीधे संबंधित विभाग/संस्था के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

(4) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है। तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रकियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(6) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(7) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्त्रोंत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में सोलर पावर प्लांट स्थापित किये जाने में समाग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के माध्यम से एल0-1 कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए कराया जायेगा तथा इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों/मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपयें 4,21,47,000 (रूपये चार करोड़ इक्कीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-013 लेखा शीर्षक 4059010520300- 17 ग्राम्य विकास संस्थाओं तथा 33 जिला ग्राम्य विकास संस्थाओं में सोलर प्लाण्ट की स्थापना मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-2-107-X-2025-26, दिनांक 17-12-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

जयनाथ यादव

विशेष सचिव।

संख्या-65/2025/I-1187193/38-2-2025-001-38-2099-5-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2

9- ग्राम्य विकास अनुभाग-5

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

चन्द्रिका प्रसाद

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।